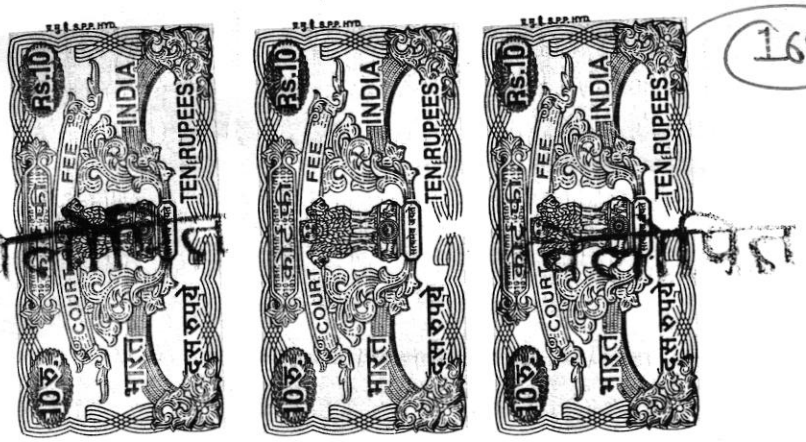

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

1. बृजलाल पुत्र रामसुमेर खैरवार
2. अयोध्या पुत्र रामसुमेर खैरवार
3. हरीनारायण पुत्र रोशनलाल

कृष्णप्रताप सिंह रामगोपाल मृत वारिसान

4. महेश प्रताप सिह पुत्र कृष्णप्रताप सिंह
5. संजय कुमार सिंह पुत्र कृष्णप्रताप सिंह निवासी गण ग्राम मेंढ़ौली तहसील व जिला सिंगरौली म.प्र.

बुद्धी सागर मृत वारिसान

6. अशोक सिंह पुत्र बुद्धीसागर
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र बुद्धीसागर

निवासी ग्राम पचखौरा तहसील व जिला सिगरौली म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

—— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिगरौली के प्र.क. 99/अ—6/1991—92 में पारित आदेश दिनांक 13.03.1993 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम मेढ़ौली तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदकगण द्वारा नायव तहसीलदार वृत्त इमिलिया तहसील सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115–116 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण कमांक 99/अ–6/1991–92 पर पंजीवद्ध किया किया गया। विधिवत उदोद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नही हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम मेढ़ौली तहसील सिगरौली की भूमि पुराना सर्वे नं. 162/3 रकवा 16.00 एकड़ के भूमिस्वामी स्व. महीप तनय हरिवंश खैरवार अभिलेख मे दर्ज है। आवेदकगण के भूमिस्वामी महीप पुत्र हरिवंश खैरचार उनके पूर्वज है। इस कारण वारिसान हक के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख मे भूमि स्वामी के रूप में अंकित किया जाये। प्रकरण मे उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया है। कि आवेदकगण का नाम वारिसान हक के आधार पर अमल किया जाना न्यायोचित होगा। उसी आधार पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख अमल करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेंख मे आज दिनांक तक अमल करने का पारित नही किया है। उक्त आदेश से दुखित हो कर निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के आधारः–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03. 1993 का अमल अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारीयो द्वारा नही किया गया है। इस कारण उक्त आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदकगण का नाम अभिलेख मे वारिसान हक के आधार पर अंकित किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / सिंगरौली / भू.रा. / 2017 / 2004

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 –7–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि यह प्रकरण भूलवस धारा–50 में निगरानी हो गई है जबकि यह प्रकरण विविध में सुना जावे इस हेतु उनके द्वारा आवेदन पत्र वास्ते आदेश 6 नियम 17 के अधीन प्रस्तुत कर धारा 50 के स्थान पर धारा 32 में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह विविध आवेदन न्यायालय नायब तहसीलदार सिंगरौली जिला सिगंरौली के प्रकरण कमांक 99 / अ–6 / 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 13.3.93 द्वारा आवेदकगण के पक्ष में हुये आदेश का पालन न करने के कारण यह प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 32 का आवेदन स्वीकार करते हुये धारा–50 के स्थान पर धारा 32 में सुनवाई की जा रही है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मेमों के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम 1963 का आवेदन पर भी तर्क प्रस्तुत किये। धारा–5 म्याद अधिनियम 1963 का आवेदन में दर्शाये तथ्य समाधानकारक होने से एवं सद्भाविक होने विलंब मांफ किया जाता है तथा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। 3– प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेढ़ोली तहसील व जिला सिंगरौली के संबंध में आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त इमिलिया तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता म0 प्र0 भू–राजस्व सहितां 1959 की धारा 115–116 के तहत प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण कमांक 99 / अ–6 / 1991–92 पर पंजीबद्व किया	

गया, विधिवत उद्घघोषणा जारी की गई आपत्तियां बुलाई गई समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम मेढ़ोली तहसील सिंगरौली की भूमि पुराना सर्वे न0 162/3 रकवा 16.00 एकड़ के भूमिस्वामी स्व0 महीप तनय् हरिवंश खैरवार अभिलेख में दर्ज है। आवेदकगण के भूमिस्वामी महीप पुत्र हरिवंश खेरवार उनके पूर्वज है, इस कारण वारिसान हक के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जावे। प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदकगण का नाम वारिसान हक के आधार पर अमल किया जाना न्यायोचित होगा, उसी आधार पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख अमल करने के आदेश दिये गये लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर यह विविध आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

4–आवेदक अधिवकता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.3.93 का अमल अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है इस कारण राजस्व अभिलेख में नाम अंकित आवेदकगण का नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था लेकिन आज दिनांक तक आलोच्य आदेश का पालन नहीं किया गया है। उक्त आदेश का पालन कराया जाना कानूनी आधार पर वैध एवं उचित है। उनके द्वारा यह तर्क किया गया है कि भूमि सर्वे कमांक 162/3 रकवा 16.00 एकड़ को भूमिस्वामी स्व0 महिप सिंह तनय हरिवंश खैरवार राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उन्होंने अपने जीवन काल में आवेदक कमांक 1 व 2 तीन–तीन एकड़ भूमि एवं आवेदक कमांक 3 को दो एकड़ भूमि वसीयतनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित कराये जाने का

अंतिम इच्छा पत्र निष्पादित किया गया एवं शेष अंश भाग आवेदक 4 व 5 के पिता कृष्ण प्रताप सिंह एवं आवेदक कमांक 6 व 7 के पिता बुद्विसागर के नाम चार–चार एकड़ भूमि को विकय टीप द्वारा रूपये 65.00 / – की गई है तथा मौखे पर उसी अनुसार कब्जा दिया जा चुका है, आज दिनांक तक आवेदकगण काबिज होकर उसका विधिवत उपयोग कर रहे हैं लेकिन राजस्व अभिलेख में अमल किया जाना छूट गया है इस प्रकार आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115–116 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित किया जाये, उसी अनुसार प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 13.3.93 पारित किया गया लेकिन उक्त आदेश का अमल नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त आदेश का अमल कराना कानूनी आधार पर वैध एवं उचित होगा। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि हल्का पटवारी द्वारा आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया है, क्यों कि नायब तहसीलदार सिंगरौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.3.93 के अनुसार भूमि सर्वे कमांक 162 / 3 रकवा 16.00 एकड़ में आवेदक कमांक 1 व 2 के नाम तीन–तीन एकड़ एवं आवेदक कमांक 3 के नाम दो एकड़ भूमि तथा आवेदक कमांक 4 व 5 के पिता के नाम शेष 8 एकड़ में से चार–चार एकड़ भूमि को विकय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश को राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने के कारण उन्हें आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में नाम अंकित किये जाने के आदेश कराने का अनुरोध किया गया है।

5– आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में तथ्यों का उल्लेख किया गया है। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी

वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि इतने विलंब से यह विविध प्रकरण दायर किया गया है जिसका कारण समाधानकारक नहीं है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा इस आशय का म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115/116 के तहत आवेदन पत्र दिया गया कि ग्राम मेढ़ौली तहसील सिंगरौली की भूमि पुराना खसरा न0 162/3 रकवा 16.00 एकड़ का खसरा सुधार किये जाने का प्रस्तुत किया। प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं हल्का पटवारी का प्रतिवेदन लिया गया । ग्राम मैढ़ौली की भूमि न0 162/3 रकवा 16.00 एकड़ के भूमि स्वामी स्व0 महीप तनय हरिवंश खैरवार के नाम अभिलेख में दर्ज होने से अपने जीवन काल में आवेदक कमांक 1, 2 को तीन–तीन एकड़ तथा आवेदक कमांक–3 को 2.00 एकड़ भूमि वसीयतनामा में दे चुके हैं तथा शेष बची भूमि 8.00 एकड़ आवेदक कमांक 4 व 5 को मुवलिग 65.00 रूपये मात्र में बराबर–बराबर जरिये विकय कर कब्जा दखल दे चुके है। नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि हल्का पटवारी द्वारा खसरा रोस्टर भरते समय सहवन म0 प्र0 शासन अंकित हो गया था।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार सिंगरौली ग्राम मैढ़ौली स्थित आराजी न0 162/3 रकवा 16.00 एकड़ में आवेदक कमांक 1, 2 के नाम तीन–तीन एवं आवेदक कमांक 3 के नाम दो एकड़ तथा आवेदक कमांक 4 एवं 5 के नाम चार–चार एकड़ भूमि अभिलेख सुधार किये जाने का नायब तहसीलदार सिंगरौली जिला सिगंरौली द्वारा प0 क0 99/अ–6/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 13.3.93 द्वारा

आदेश पारित किया है वह स्थिर रखते हुये, तहसीलदार / हल्का पटवारी अभिलेख में सुधार करें। यह भी तहसीलदार सिंगरौली सुनिश्चत करें कि इसके पूर्व कहीं और वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण संचालित तो नहीं हुआ अथवा संचालित है।(तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें) प्रकरण निराकृत किया जाता है।

सदस्य